

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/6815

दिनांक : 16/09/2022

बजट आवंटन आदेश- 53

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न मदों में सूची अनुसार वर्ष 2020-2021 के बकाया दायित्वों एवं वर्ष 2022-23 में आवंटित कार्यों का समर्पण स्वीकार कर/आवंटन कर आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मदों में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-01-01-12
2406- Forest & wildlife
04-Afforestation and Ecology Development
103- State Compensatory Afforestation (SCA)
(01)- Compensatory Afforestation
(01)- Compensatory Afforestation
12 - Grant in Aid (Other than Salary)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name		आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
					भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	उ.व.सं. सिरोंही	CA on allotted Non-Forest Land for Compensatory Afforestation (CA-NFL)	i) New Advance Action	9	14.85	8.01633	-4.20	-2.26725	10.65	5.74908	मु.व.सं. जोधपुर के पत्रांक 6355 दिनांक 22.08.2022

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item (2022-23)	Activity	Budget Allotment		Details
				Phy. Target (in Ha.)	Unit Rate 0.63773 (per ha)	
1	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	1- CA on allotted Non-Forest Land for Compensatory Afforestation (CA-NFL) :	ii) committed (1st year)	1.517	0.96744	उ.व.सं. बाड़मेर के पत्रांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के क्रम में।

(राशि रु. लाखों में)

A.P.O. Item No. 7 : Pending Liability of the year 2021-22 (NFL/DFL/ACA/PCA/Medicinal plants/100 plants)										
S.No.	Name of division	A.P.O item name of year 2020-21	Target		Achievement		Pending Liability			Remarks
			Physical	Financial	Physical	Financial	Bills sent to Treasury but remain unpaid	Bills Prepared but not sent treasury	Allotment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	1- a) CA on Allotted Non forest land compensatory afforestation : i) new advance action	1.517	0.73505	1.517	0.00000	0.00	0.73505	0.73505	उ.व.सं. बाड़मेर के पत्रांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के क्रम में

नोट:- उ.व.सं. बाड़मेर के पत्र क्रमांक 5983 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार उक्त कार्य वर्ष 2021-22 में करवा लिया गया था परन्तु माह मार्च 2022 की एम.पी.आर. में नहीं दर्शाया गया था।

2406-04-789-05-01-12
 2406- Forest & wildlife
 04-Afforestation and Ecology Development
 789- Anusuchit Jatiyon ke Liye Vishisht Sanghatak Yojna
 (05)- Net Present Value of Forest Land
 (01)- Compensatory Afforestation
 12 - Grant in Aid (Other than Salary)

(राशि रु. लाखों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर	19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas.	46	750	25.12500	-500	-16.75000	250	8.37500	मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पत्रांक 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में
2	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas.	46	1250	41.87500	-750	-25.12500	500	16.75000	
3	उ.व.सं. एवं उ.क्ष.नि. (कोर) रामगढ़ विषघासी टाईगर रिजर्व बूंदी	19-Ecorestoration and protection of forest area by construction of pucca wall (6 feet height) fencing at the boundary of the protected areas and other wildlife prone areas.		0	0.00000	1250	41.87500	1250	41.87500	

2406-04-103-04-01-12
 2406- Forest & wildlifie
 04- Afforestation and Ecology Development
 103- State Compensatory Afforestation (SCA)
 (04)- Net Present Value of Forest Land
 (01)- Compensatory Afforestation
 12 - Grant in Aid (Other than Salary)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	A.P.O Item No. & Name	आवंटन आदेश	पूर्व में आवंटन		समर्पण/बजट आवंटन		कुल बजट आवंटन		विशेष विवरण	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर	12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas)	i) New Advance Action	13	200	97.98600	-100	-48.99300	100	48.99300	मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पत्रांक 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में
		27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas	a) Anicut type III	17	1	6.50000	-1	-6.50000	0	0.00000	
			b) Anicut type II	17	1	3.75000	-1	-3.75000	0	0.00000	
			c) MPT	17	2	1.40000	-1	-0.70000	1	0.70000	
		49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forestor	forest guard chowkies	44	1	0.50000	-1	-0.50000	0	0.00000	

		nakas & guard chowkies/ barracks)Building constructed under CAMPA	office cum residence	44	2	2.00000	-2	-2.00000	0	0.00000	
		53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department		31	69	2.07000	-24	-0.72000	45	1.35000	
2	उ.व.सं. वन्य जीव कोटा	12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas)	i) New Advance Action	13	200	97.98600	-50	-24.49650	150	73.48950	मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा के पत्रांक 2512 दिनांक 08.09.2022 के क्रम में
		27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas	b) Anicut type II	17	2	7.50000	-1	-3.75000	1	3.75000	
		45-Information and Communication Technology (ICT) :	c) MPT	17	2	1.40000	-1	-0.70000	1	0.70000	
		a) Procurement of Data Storage devices (Portable Hard Disk) and Power Backup equipment (for mobile)		18	0	0.35000	0	-0.21000	0	0.14000	
		49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forestor nakas & guard chowkies/ barracks)Building constructed under CAMPA	forest guard chowkies	44	4	2.00000	-3	-1.50000	1	0.50000	
		22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	All forest area	15	200	4.70000	-100	-2.35000	100	2.35000	
		53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department		31	61	1.83000	-26	-0.78000	35	1.05000	
		23-Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment		39	0	2.00000	0	-1.00000	0	1.00000	
		24-Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management	b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (if required)	39	0	1.00000	0	-0.50000	0	0.50000	
3	उ.व.सं. एवं उ.क्षेत्रि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी	12-Assisted Natural Regeneration (ANR) (Restocking of Degraded Forest Areas)	i) New Advance Action		0	0.00000	150	73.48950	150	73.48950	
		27-Soil and moisture Conservation (SMC) Works in and around Protected Areas /Conservation Reserves/Potential Wild life Areas	b) Anicut type II		0	0.00000	1	3.75000	1	3.75000	
		45-Information and Communication Technology (ICT) :	c) MPT		0	0.00000	1	0.70000	1	0.70000	
		a) Procurement of Data Storage devices (Portable Hard Disk) and Power Backup equipment (for mobile)			0	0.00000	0	0.21000	0	0.21000	

		22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	All forest area	0	0.00000	100	2.35000	100	2.35000		
		53-Providing SIM based Internet facility to field staff for monitoring of plantation through various applications/portals of the Department		0	0.00000	73	1.71550	73	1.71550		
		23-Hiring of machinery for eviction of encroachment and prevention of illegal mining and camp equipment		0	0.00000	50	1.50000	50	1.50000		
		24-Purchasing/Hiring of Patrolling vehicles for forest protection and wildlife management	b) Hiring of Patrolling Vehicles for forest protection and rescue of wildlife @ Rs. 1.50 Lacs each forest division (if required)	0	0.00000	0	0.50000	0	0.50000		
		49-Improvement of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife/Improvement of residential quarters of frontline staff (forester nakas & guard chowkies/barracks)Building constructed under CAMPA	forest guard chowkies	0	0.00000	4	2.00000	4	2.00000		
			office cum residence	0	0.00000	2	2.00000	2	2.00000		
4	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर	22-Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	All forest area	15	427	10.03450	-73	-1.71550	354	8.31900	उ.व.सं. उदयपुर उत्तर के पत्रांक 5177 दिनांक 28.07.2022

शर्तें :

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ. / 2022-23/कैम्पा/अप्रगुवस/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्ध जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्राकधानों के अनुसार ही करें।
- 3 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्राकधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 4 ए.पी.ओ. वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित कार्यों पर ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित हो एवं आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 6 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जावे जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 7 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 9 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- 10 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 11 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 12 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 13 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्राकधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रकृति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 14 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinates के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shikha
(शिखा मेहरा)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।


etc

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/बजट आवंटन/2022-23/ 6816-30

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन संरक्षक -जोधपुर/उदयपुर/वन्य जीव सवाई माधोपुर/मु.व.सं. एवं क्षेत्र निदेशक मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व कोटा को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक- सिरौही/बाड़मेर/उदयपुर उत्तर/उ.व.सं. वन्य जीव चम्बल सवाईमाधोपुर/उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी/वन्य जीव कोटा।
नोट : उप वन संरक्षक वन्य जीव कोटा व वन्य जीव चम्बल के जिन क्षेत्रों का उक्त बजट आवंटन आदेश के अनुसार उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी को स्थानान्तरण किया गया है कि साईट व जी.पी. एस कॉर्डिनेटस उ.व.सं. एवं उ.क्षे.नि. (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने एवं उ.व.स. बाड़मेर के एन.एफ.एल. (1.517 है) वर्ष 2021-22 के प्राप्त भौतिक लक्ष्यों में सम्मिलित करने एवं वर्ष 2022-23 में प्लांटिंग कार्य में सम्मिलित करने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।


(अभिषेक शर्मा)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

01/02